



Neutral Citation No.- 2026:AHC:19272

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक प्रकीर्ण ज़मानत आवेदन संख्या-35362 वर्ष 2024

हरि शंकर आवेदक

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य प्रतिपक्षी

आवेदक के अधिवक्ता: कृष्ण कुमार शुक्ला

प्रतिपक्षी के अधिवक्ता: शासकीय अधिवक्ता, मोहम्मद आबिद अली, मोहम्मद फैज

न्यायालय सं - 66

माननीय न्यायमूर्ति श्री कृष्ण पहल

1. सूची का पुनः पुकार किया गया। सूचनाकर्ता के अधिवक्ता मौजूद नहीं हैं।
2. आवेदक के अधिवक्ता श्री कृष्ण कुमार शुक्ला, राज्य के राज्य विधि अधिकारी श्री आर.पी. पटेल को सुना और अभिलेखों पर रखी गई सामग्री का अवलोकन किया।
3. प्रस्तुत ज़मानत आवेदन आवेदक द्वारा अपराध संख्या-168 वर्ष 2023 में धारा 498-ए, 304-बी, 302 भ०द०वि० आर/डब्ल्यू 3/4 डीपी अधिनियम, थाना-अनोला, ज़िला: बरेली के तहत दायर किया गया है, जिसमें उसे ज़मानत पर रिहा करने की प्रार्थना की गई है।
4. अभियोजन पक्ष की कहानी के अनुसार, आवेदक को 17.4.2023 को सुबह 04:30 बजे अपने ससुराल में अपनी पत्नी पर हमला करने और उसकी हत्या करने के बारे में बताया गया है।
5. आवेदक के अधिवक्ता ने कहा है कि आवेदक पूरी रात घर में रहा क्योंकि वह 16.4.2023 को अपने ससुराल में पहुंचा था और आवेदक के लिए अपने ससुराल में उक्त हत्या करने का कोई कारण नहीं था। उक्त घटना से पहले दोनों पक्षों के बीच कोई विवाद नहीं था।
6. आवेदक के अधिवक्ता द्वारा आगे यह तर्क दिया जाता है कि आवेदक ने मोटरसाइकिल की मांग करने वाले आरोप झूठे हैं। आवेदक का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। आवेदक

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



19.4.2023 से जेल में है और वह मुकदमे में सहयोग करने के लिए तैयार है। यदि आवेदक को ज़मानत पर रिहा कर दिया जाता है, तो वह ज़मानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेगा।

7. तत्सम विपरीत, राज्य विधि अधिकारी ने ज़मानत याचिका का पुरजोर विरोध किया है।

8. इस न्यायालय ने संबंधित विचारण न्यायालय से मुकदमे की स्थिति मांगी थी। दिनांक 10.11.2025 की उक्त स्थिति रिपोर्ट के अनुसार, छह गवाहों से पूछताछ की गई है।

9. 'एक्स' बनाम राजस्थान राज्य और एक अन्य INSC 909 2024 में रिपोर्ट किए गए के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने माना है कि एक बार मुकदमा शुरू हो जाने के बाद, इसे अपने अंतिम निष्कर्ष तक पहुंचने की अनुमति दी जानी चाहिए, जिसके परिणामस्वरूप या तो दोषी साबित हो सकता है या आरोपी बरी हो सकता है। आरोप तय होने के बाद आरोपी को सामान्य रूप से ज़मानत नहीं दी जानी चाहिए। बयान में यहां या वहां की विसंगतियों को देखकर भी इसे स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए।

10. पक्षों के अधिवक्ता को सुनने के बाद और इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि आवेदक मुख्य आरोपी व्यक्ति है जिसने अपनी पत्नी को चाकू से घायल कर दिया है, इस तथ्य के साथ कि मुकदमा चल रहा है क्योंकि पहले से ही छह गवाहों की जांच की जा चुकी है, मुझे यह आवेदक को ज़मानत देने के लिए उपयुक्त मामला नहीं लगता है। ज़मानत आवेदन गुण-दोष से रहित पाया जाता है और तदनुसार, **खारिज** किया जाता है।

11. हालांकि, यह निर्देश दिया जाता है कि विचारण न्यायालय के समक्ष लंबित उपरोक्त मामले को सिद्धांत के मद्देनजर **विनोद कुमार बनाम पंजाब राज्य; 2015 (3) एस.सी.सी. 220 और हुसैन और अन्य बनाम भारत संघ; (2017) 5 एस.सी.सी. 702** के मामलों में उच्चतम न्यायालय के हाल के फैसलों में निर्धारित किया गया है, अगर कोई कानूनी बाधा नहीं है, जल्दी निर्णीत किया जाए।

12. यह स्पष्ट किया जाता है कि यहां की गई टिप्पणियां ज़मानत आवेदन के निपटान से संबंधित पक्षों द्वारा लाए गए तथ्यों तक सीमित हैं और उक्त टिप्पणियों का मुकदमे के दौरान मामले के गुण-दोष पर कोई असर नहीं पड़ेगा।

28 जनवरी, 2026

विकास वर्मा

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



(न्यायमूर्ति कृष्ण पहल)

Translated Version. Not for Legal Use.

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है।
सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा!